P-1 R.M.M. Law College - Saharsa.

Manvendra Mandal Subject - Contract-II
part time lecturer Specific Contract

प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन (Discharge of surety from liability)

निम्नलिखित ढंग से प्रतिभू (surety) अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है:-

① सूचना द्वारा प्रतिसंहरण (धारा-130)— धारा 130 के अनुसार चलत प्रत्याभूति को surety creditor को सूचना देकर, भविष्य के संव्यवहारों के बारे में, किसी भी समय समाप्त कर सकता है। लेकिन प्रतिसंहरण की सूचना के पूर्व के संव्यवहारों के बारे में surety का दायित्व बना रहता है। परन्तु सूचना के बाद लेनदार और मूल ऋणी के मध्य होने वाले संव्यवहार के सम्बन्ध में उसका दायित्व समाप्त हो जाता है। इस धारा के अनुसार सम्पूर्ण प्रतिफल एक ही समय दे दिया गया है तो प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए क ख द्वारा ग को 2 वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाने वाली भूमि तथा उसके सम्बन्ध में देय लगान के सम्बन्ध में प्रत्याभूति देता है। उसका प्रतिसंहरण नहीं हो सकता है।

② प्रतिभू की मृत्यु द्वारा प्रतिसंहरण (धारा-131)— surety की मृत्यु पर continuing guarantee का भविष्य के संव्यवहारों के सम्बन्ध में प्रतिसंहरण हो जाता है, जब तक कि उसके विपरीत कोई संविदा न हो। अतः प्रतिभू की मृत्यु की स्थिति तक संव्यवहारों के सम्बन्ध में surety की सम्पदा दायी है, परन्तु मृत्यु के बाद के संव्यवहारों के लिए उसकी सम्पदा दायी नहीं है।

इंग्लैंड में surety की मृत्यु पर मृत्यु के बाद संव्यवहारों के लिए surety की सम्पदा कभी दायी नहीं होती है, जबकि creditor को surety की मृत्यु की सूचना हो, परन्तु भारत में surety की मृत्यु पर guarantee का प्रतिसंहरण हो जाता है, चाहे लेनदार को surety के मृत्यु की सूचना हो अथवा न हो। अतः भारत में मृत्यु के बाद के संव्यवहारों के लिए surety की सम्पदा दायी नहीं होगी, भले ही वे संव्यवहार लेनदार से ऋणी के साथ surety की मृत्यु की जानकारी के बिना किया हो।

P-2 प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन
(Discharge of surety from liability)

(3) संविदा के निबंधनों (शर्तों) में फेरफार से प्रतिभू का उन्मोचन (धारा-133)— principal debtor और creditor के मध्य हुई संविदा के निबंधनों में बिना surety के सम्मति के कोई फेरफार या परिवर्तन किया जाता है तो फेरफार या परिवर्तन के बाद हुए दायित्वों के सम्बन्ध में surety का दायित्व समाप्त हो जायगा।

(4) मूलऋणी के उन्मोचन या मुक्ति पर प्रतिभू का उन्मोचन (धारा-134)— यदि creditor और मूल ऋणी के मध्य कोई संविदा होती है जिससे मूल ऋणी दायित्व से छुटकारा पा जाता है तो surety भी दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है। परन्तु यदि principal debtor दिवाले में शोध्यक्षमता विधि (insolvency law) के कारण मुक्त होता है तो surety liability से उन्मुक्त नहीं होगा।

धारा 134 के अनुसार यदि creditor के किसी कार्य या कार्यलोप का वैध्य परिणाम यह होता है कि principal debtor के दायित्व का उन्मोचन हो जाता है तो surety भी अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जायगा। यदि परिसीमा अवधि (limitation period) के अन्दर creditor principal debtor के विरुद्ध वाद संस्थित नहीं करता है और इस कारण principal debtor मुक्त हो जाता है, परन्तु surety liability से उन्मोचित नहीं होता।

(5) लेनदार द्वारा मूलऋणी के साथ समझौता करने या उसे समय देने या उस पर वाद न चलाने के करार पर प्रतिकर का उन्मोचन (धारा-135)— धारा-135 उस स्थिति में surety के दायित्व से उन्मोचन का उपबन्ध करती है, जबकि बिना surety की सम्मति के creditor principal debtor के साथ समझौता करता है या उसे समय देता है या उस पर वाद न चलाने का करार करता है। इस प्रकार इस धारा के अन्तर्गत तीन दशाओं में surety दायित्व से उन्मुक्त हो जाता है—

Scanned with CamScanner

P-3 प्रतिभू का दायित्व से उन्मोचन
(Discharge of surety from liability)

(1) समझौता (2) समय देने की प्रतिज्ञा (3) वाद न चलाने की प्रतिज्ञा

(1) समझौता – जब principal debtor और creditor बिना surety की सम्मति के समझौता करते हैं तो surety अपने liability से मुक्त हो जाता है। समझौते के कारण principal debtor और creditor के मध्य हुई contract के निबंन्धनों (शर्तों) में परिवर्तन होता है और इस कारण surety अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है।
उदाहरण के लिए क, ख को ग की guarantee पर 10000 ऋण के रूप में देता है। बाद में क और ख समझौता करते हैं कि ख 10000 के स्थान पर 5000 देकर दायित्व से उन्मुक्त हो सकता है। समझौता के कारण क और ख के मध्य हुई संविदा में परिवर्तन हो जाता है। ग अपने दायित्व से उन्मुक्त हो जायगा।

(2) समय देने की प्रतिज्ञा – यदि creditor बिना surety की सम्मति के principal debtor द्वारा किये जाने वाले भुगतान के लिए समय बढ़ा देता है तो surety दायित्व से उन्मुक्त (discharge) हो जाता है। उदाहरण के लिए एक वाद में principal debtor को गैस का मूल्य चौदह दिन के अन्दर देना था। उसने एक बार नियत समय पर गैस का मूल्य देने में चूक किया। creditor ने उससे वचन पत्र स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने उसे भुगतान का समय बढ़ाना माना और surety अपने liability से discharge हो गया।

(3) वाद न चलाने की प्रतिज्ञा – यदि creditor principal debtor को वचन देता है कि वह उसके विरुद्ध वाद नहीं चलायेगा तो surety अब-तक की उसके लिए उसने अपनी सम्मति न दी हो दायित्व से discharge हो जाता है

(6) लेनदार के ऐसे कार्य या कार्यलोप के कारण surety का उन्मोचन जिस कार्य या कार्यलोप से surety के उपक्रम का ह्रास हो – धारा-139 surety of discharge